क्रम संख्या–61

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 ई0

आषाढ़ 31, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 192 / XXXVI (3) / 2022 / 35(1) / 2022

देहरादून, 22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनिमय, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 22 जुलाई, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 07 वर्ष, 2022 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष, 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) इसका विस्तार स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और छावनी परिषद आदि) क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय–समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 143 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 143 में–

(i) उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्–

"परन्तु निम्नलिखित श्रेणी की भूमि के संक्रमणीय भूमिधर/स्वामी के आवेदन पर:–

1. इस अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत निर्धारित गैर कृषि प्रयोजन के लिये क्रय की गयी भूमि,
2. किसी भी विकास प्राधिकरण द्वारा गैर कृषि प्रयोजन हेतु स्वीकृत मानचित्र की भूमि,
3. उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम–2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–5 वर्ष 2013) के अंतर्गत राज्य प्राधिकृत समिति अथवा जिला प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत गैर

कृषि प्रस्ताव के अन्तर्गत भूमि,

सम्बन्धित परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर ऐसे आवेदन के 7 दिन के भीतर यह घोषणा करेगा कि उपरोक्त भूमि कृषि से भिन्न उल्लिखित उपयोग में लायी जायेगी।

4. घोषणा जारी होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के भीतर खतौनी में इस आशय का इन्द्राज किया जायेगा।

(ii) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जायेगी अर्थातः–

(4) उप धारा 1 में किये गये प्रख्यापन/घोषणा के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित "शुल्क" देय होगा।

धारा 143क का लोप

3. मूल अधिनियम की धारा 143क का लोप किया जायेगा।

धारा 143ख का लोप

4. मूल अधिनियम की धारा 143ख का लोप किया जायेगा।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

कारण और उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगीकरण/विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा कृषि भूमि पर ऋण मिलने की कठिनाइयों के दृष्टिगत उद्यमियों/व्यवसायियों के आवेदन पर कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) की धारा 143 में संशोधन किया जाना अपरिहार्य है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

मुख्यमंत्री।